मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 25 जून, 2018 (आषाढ़ 4, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) श्रीमती उर्मिला सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश,
(2) श्री बालकवि बैरागी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री दशरथ जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री महाराज सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(5) श्री राजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(6) श्री हेमचंद यादव, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) डॉ. निर्मल हीरावत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(8) श्री एल.पी. शाही, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री, तथा
(9) श्री सिद्धप्पा न्यामागौड़ा, भूतपूर्व केन्द्रीय उपमंत्री.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, श्री कैलाश चावला, सदस्य द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.48 बजे सदन की कार्यवाही 05 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11.55 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3 एवं 4) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 99 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 106 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर अनुपूरक चर्चा के दौरान व्यवधान हुआ.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार सहित अन्य कस्बों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अव्यवस्था होने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की जिला श्योपुर की तहसील कराहल के कई ग्रामों में शासकीय योजनाओं का लाभ न मिलने,
(3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के किसानों की गन्ना फसल की राशि बकाया होने,
(4) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के तहसील हनुमना में माइक्रो सिंचाई परियोजना के द्वारा जल स्तर बढ़ाए जाने,

(5) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजना गुणवत्ताहीन होने,
(6) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत न किये जाने,
(7) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य की आदिवासी ग्रामीण अंचलों में प्राइवेट विद्यालय खुलने,
(8) श्री सचिन यादव, सदस्य की जिला खरगोन, तहसील कसरावद में जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने,
(9) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की शाजापुर जिले में पिछले 5 वर्षों से कैंसर के मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने,
(10) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र महिदपुर में सोयाबीन बीज, दवाईयां एवं उर्वरक-अमानक एवं नकली विक्रय किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

व्यवधान के कारण अपराह्न 12.02 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 12.18 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय ने समझाईश दी कि "किसी बात को जबर्दस्ती ट्विस्ट करना उचित नहीं है इससे अच्छी छवि नहीं बनता है. हम सभी समझदार लोग हैं. कृपया इस विषय को समाप्त करें."

5. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने -
(क) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018),
(ख) मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018),
(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018),
(घ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018),
(ङ) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018)
(च) मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018), तथा
(छ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018),
पटल पर रखे.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने -
(क) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन के नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन,
(ख) त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के संपरीक्षित लेखों पर आधारित संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. का समेकित वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 तथा
(ग) नगरीय निकायों के संपरीक्षित लेखों पर आधारित संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र.का समेकित वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 तथा 2013-14,
(घ) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18, तथा
(ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-
(i) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2016-17 के खण्ड I एवं II, एवं
(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2016-17.
पटल पर रखे.

(2) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने –

(क) दिनांक 13.01.2000 को भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान हुई घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन; तथा

(ख) दिनांक 30-31 अक्टूबर, 2016 की दरम्यानी रात को सेन्ट्रल जेल, भोपाल से 08 विचाराधीन बंदियों के जेल से भागने और दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में उक्त बंदियों की मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन,

पटल पर रखे.

7. फरवरी-मार्च, 2018 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर खण्ड-13 का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-मार्च, 2018 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर खण्ड-13 का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. नियम 267 - क के अधीन फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में सदन में पढ़ी गईं शून्यकाल सूचनाएं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-मार्च, 2018 में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

9. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत एवं बाला बच्चन, सदस्यगण द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया कि शासन ने शून्यकाल एवं इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर की प्रति हमारे खानों (सूचना कार्यालय) में नहीं पहुंची है. हम लोग शून्यकाल की सूचनाएं एवं प्रश्न लगाते हैं, पहले हमें इन सूचनाओं के उत्तर 15 दिन में प्राप्त हो जाते थे, अब सूचनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं आप सरकार को समय पर उत्तर देने हेतु निर्देशित करें.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि यह गंभीर बात है शासन का उत्तर आने में देर होती है. संसदीय कार्य मंत्री सभी विभागों को निर्देशित करें और सुनिश्चित करें कि शून्यकाल की सूचनाओं के उत्तर वे निश्चित समयावधि में दें ताकि अगले सत्र के पहले वह मुद्रित होकर वितरित हो सकें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सहमति व्यक्त की.

(सर्वश्री हरदीप सिंह डंग, निशंक कुमार जैन एवं इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अधिकांश सदस्यगण द्वारा मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने एवं सार्वजनिक किये जाने की मांग करते हुए और निर्दोष किसानों पर चल रहे प्रकरण वापस लिये जाने के संबंध में पोस्टर का प्रदर्शन किया गया. इससे कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ.)

10. राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 1 विधेयक को राष्ट्रपति महोदय तथा 5 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2018

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2018
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2018
3.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2018
4.	मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर विधेयक, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2018
5.	मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2018

11. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 25 जून, 2018 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन 2018)	1 घण्टा
2.	मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन 2018)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन 2018)	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन 2018)	30 मिनिट
5.	मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018(क्रमांक 10 सन 2018)	30 मिनिट
6.	मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन 2018)	15 मिनिट
7.	मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2018(क्रमांक 12 सन 2018)	30 मिनिट
8.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2018(क्रमांक 13 सन 2018)	30 मिनिट
9.	मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन 2018)	1 घण्टा
10.	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन 2018)	30 मिनिट
11.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन 2018)	30 मिनिट
12.	मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन 2018)	30 मिनिट
13.	मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन 2018)	1 घण्टा
14.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 19 सन 2018)	30 मिनिट
15.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 20 सन 2018)	30 मिनिट
16.	मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2018 (क्रमांक 21 सन 2018)	1 घण्टा
17.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 22 सन 2018)	2 घण्टे
18.	वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने प्रदेश में मछली बीज उत्पादन एवं विक्रय में अनियमितता होने की ओर मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अंतर सिंह आर्य, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट सार्वजनिक किये जाने की मांग पर डॉ. मोहन यादव एवं तरूण भनोत, सदस्यगण द्वारा की गई कथित असंसदीय टिप्पणी को अध्यक्ष महोदय द्वारा विलोपित करते हुए व्यवस्था दी कि माननीय सदस्यगण को इस तरह से नहीं कहना चाहिए. सब उनका सम्मान करते है, आप बोलकर उनका अपमान मत करिये. आप उसी विषय को बार-बार उठाकर जानबूझकर अपमानित करना चाहते है यह ठीक नहीं है.)

(व्यवधान के कारण अपराह्न 12.46 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 12.55 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

13. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य ने प्रदेश में भू-राजस्व नक्शों का सुधार कार्य समय सीमा में न होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

14. अध्यक्षीय घोषणा
विधानसभा के माननीय सदस्यों का समूह छायांकन किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि इस विधान सभा के माननीय सदस्यों का समूह छायांकन कल मंगलवार दिनांक 26 जून, 2018 को प्रात: 10 बजे विधान सभा परिसर स्थित द्वार क्रमांक 4 के सम्मुख होगा. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे यथासमय छायांकन हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें.

15. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री कैलाश चावला
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(4) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री के.पी. सिंह

16. अविश्वास प्रस्ताव संबंधी औचित्य प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 143 के उप नियम (1) के पद (ख) के अधीन एक अविश्वास प्रस्ताव उनके द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, ये आज ही आना चाहिए. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि वह कार्यसूची में शामिल नहीं है, अनुमति के लिये जब मैं नाम पुकारूंगा तब प्रस्तुत होगा. आप खड़े होकर ये पूछ सकते है कि हम इसे कब लेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से व नाम पुकारने पर ही प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, इस तरह चर्चा नहीं हो सकती.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आसंदी से निवेदन किया कि आपको इसे निरस्त करने का विवेकाधिकार है लेकिन अनुमति मांगने पर ग्राह्य करने के बाद 10 दिन के भीतर आप चर्चा कराएंगे. केवल 5 दिन ही विधान सभा का सत्र है, हमने समय से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है. हम अनुमति मांगने के लिये खड़े है आप हमें अनुमति प्रदान करें. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि इस पर विचार अनुमति देने के पहले ही किया जाएगा. आसंदी ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि अभी समय सीमा नहीं बता सकते है और न ही इस पर कब चर्चा कराएंगे, ये बता सकते है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि कौल एण्ड शकधर की पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक आप नाम नहीं पुकारेंगे, ये अनुमति का विषय नहीं उठा सकते हैं. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम हैं.

नियम 241(ग) में लिखा है कि – "किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो साधारणत: उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी हो". जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, इसमें 98 प्रतिशत जो विषय उठाये हैं, जिन पर सदन में कभी न कभी, किसी न किसी रूप में चर्चा हो चुकी है और जो आरोप पत्र दिया गया है, उसमें एक में भी कोई प्रमाण नहीं दिया है कि किस आधार पर चर्चा चाहते हैं और अविश्वास किसके प्रति लेकर आये हैं. इनको जनता के बीच जाना चाहिये, जनता से विश्वास लेना चाहिये. यह छोटा सा सत्र था, विदाई सत्र था. बड़े आराम से हम इस सत्र में चर्चा करते, यहां पर जनहित के मुद्दे उठाते और विश्वास लेने जनता के बीच जाते. इस आरोप पत्र पर खुद नेता प्रतिपक्ष ने दस्तखत नहीं किए थे, बाद में सचिवालय ने गलती सुधरवाई.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने उल्लेख किया कि जो आरोप पत्र है, उसमें विपक्ष के नेता ने हस्ताक्षर नहीं किये थे, इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव शून्य हो जाता है. कोई भी प्रस्ताव नियमानुसार आयेगा तभी उसे ग्राह्य किया जा सकता है.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि पिछले 3 वर्षों से विपक्ष के प्रश्नों का जवाब सरकार नहीं दे रही है, हम मध्यप्रदेश की जनभावनाओं के मुद्दे उठा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने हस्ताक्षर किये हैं या नहीं किये हैं यह छोटी बात है, सरकार की नीयत का प्रश्न है कि सरकार इसे नहीं लेना चाहती है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने पुन: आसंदी से निवेदन किया कि कौल एण्ड शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 823 में लिखा है कि – "नियमों में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में कोई शर्त निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि चर्चा के बाद ऐसे किसी प्रस्ताव पर सभा द्वारा एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है". अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्रश्नकाल के बाद और उसी दिन की कार्यसूची में सम्मिलित सभा के मुख्य कार्य के प्रारम्भ होने के पहले निर्धारित क्रम पर ली जायेंगी. साथ ही आपने कहा कि कार्यसूची में नहीं है परन्तु अध्यक्ष के स्थाई आदेश में लिखा है. ये आज तक कभी कार्यसूची में नहीं लिया गया है. अनुमति प्रदान करने के बाद जब आप इसे चर्चा में लेंगे और कार्यसूची में रखेंगे कि आपके द्वारा किस दिन चर्चा निश्चित की गई है, इसलिये आप अनुमति प्रदान करें.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने उल्लेख किया कि अविश्वास प्रस्ताव की जो विषय-वस्तु हैं, उसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है. जैसा कि श्री रामनिवास रावत बता रहे हैं, जैसा संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी कहा है. वही बातें जो प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन सूचनाओं, राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा, बजट की चर्चा और अनुपूरक बजट की चर्चा में हैं, उन्हीं बातों का रिपीटेशन है. मेरा सुझाव यह है कि उन्हीं को संकलित करके जो उत्तर दिए गए हैं, एक बंच बनाकर सारे सदस्यों में वितरित कर दिया जाये.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी को सूचित किया कि रामनिवास रावत जी ने जो बात रखी है, उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि आरोप पत्र नहीं दिये हैं. जब आप इस प्रस्ताव को ग्राह्य कर लेंगे ,चर्चा के लिये तारीख निश्चित कर देंगे उसके पहले हम आरोप पत्र विधिवत जिस मंत्री के खिलाफ हमें करना होगा वह हम करेंगे लेकिन ग्राह्यता में ही इतना परेशान होना मेरी समझ से परे है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी को अनुरोध किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे है कि ये विधिवत रूप से देंगे. तो इसके पहले इन्होंने इसको अवैधानिक रूप से क्यों दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – अभी श्री रामनिवास रावत, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मंत्रीगण डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं श्री गोपाल भार्गव, कुछ सदस्यों तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी. एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नियम 143 (2) में भी, जो माननीय शेजवार जी एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने पढ़ा, कौल एण्ड शकधर में है कि अध्यक्ष द्वारा बुलाये जाने पर सदस्य को प्रस्ताव पेश करना होता है तो मैंने आपको प्रस्ताव पेश करने के लिये नहीं बुलाया. आपने कहा कि इसके पहले कभी यह कार्यसूची में नहीं आया. वर्ष 2011 एवं 2013 में भी अनुमति हेतु प्रस्ताव कार्य सूची में आया और उसके बाद में फिर प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद में चर्चा के लिए डेट बाद की तय की गई. अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि -

"त्रयोदश विधान सभा में मानसून सत्र 8 जुलाई, 2013 से प्रारंभ हुआ था, जबकि मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव पर अनुमति की सूचना 9 जुलाई, 2013 को ली गई थी. इसके पूर्व एकादश विधान सभा का मानसून सत्र 15 जुलाई, 2002 से 31 जुलाई, 2002 तक नियत था, परन्तु अविश्वास प्रस्ताव पर अनुमति लेने का प्रस्ताव एक सप्ताह पश्चात् दिनांक 22 जुलाई, 2002 को अनुमति हेतु कार्यसूची में शामिल किया गया, जिस पर 23 एवं 24 जुलाई, 2002 को सदन में चर्चा हुई. दशम् विधान सभा में मानसून सत्र 27 जुलाई, 1998 से प्रारम्भ हुआ, जबकि अविश्वास प्रस्ताव 5 अगस्त, 1998 को कार्यसूची में लिया गया. इसी प्रकार अन्य पूर्व उदाहरण भी हैं. इस तरह यह आवश्यक नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव प्रथम दिन ही लिया जाये. इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कारणों/आरोपों का विवरण शनिवार, दिनांक 23 जून, 2018 को दिया गया, उसके पश्चात् अगले दिन अवकाश था इसलिए सदन के नेता व शासन पक्ष को यह व्यवहारिक रूप से आज कार्य दिवस ही अध्ययन हेतु मिला. आज एक अन्य प्रस्ताव भी आया है, जो विचाराधीन है. अत: मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में यथासमय निर्णय लिया जायेगा."

17. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय.

18. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री रामनिवास रावत, सभापति ने लोक लेखा समिति का चार सौ बत्तीसवां से पांच सौ दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का इकतालीसवां से तिरपनवां प्रतिवेदन एवं प्रथम प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति की अनुपस्थिति में श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य द्वारा कृषि विकास समिति का पंचम्, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

19. शासकीय वक्तव्य

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने दिनांक 27 फरवरी, 2018 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 95 (क्रमांक 872) के उत्तर भाग (क) में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

20. वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 26 जून, 2018 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

21. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(8) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(9) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(10) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(11) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(12) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(13) श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(14) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 19 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(15) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 20 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(16) श्री लालसिंह आर्य, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2018 (क्रमांक 21 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(17) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 22 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

अपराह्न 1.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 26 जून, 2018 (5 आषाढ़, शक सम्वत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 25 जून, 2018